70

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः– श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक अपील 2207–तीन / 17 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 06–07–2017 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण क्रमांक 33 / पुर्नावलोकन / 2015–16.

....

1–श्रीमती शंकुन्तला बाई स्व0 श्री भगवानदास समाधिया
निवासी तलावली चांदा तहसील सांवेर जिला
इन्दौर म0प्र0
2–श्रीमती कुसुम बाई पत्नि राजेन्द्र प्रसाद
निवासी ग्राम वाजना तहसील मोठ
जिला मथुरा उत्तर प्रदेश

––– अपीलार्थीगण

विरूद्ध

1–अजय राठौर पिता श्री पी0 एन0 राठौर
निवासी लोधी मोहल्ला गंज सीहोर
तहसील व जिला सीहोर म0प्र0
2–नवीन समाधिया पुत्र स्व0 री सूरज प्रसाद
3–अनिल समाधिया पुत्र स्व0 री सूरज प्रसाद
4–संतोष समाधिया पुत्र स्व0 री सूरज प्रसाद
5–रेखा विधवा गिरीश समाधिया
6–राहुल पुत्र स्व श्री गिरीश समाधिया
7–अभिषेक पुत्र स्व0 श्री गिरीश समाधिया
प्रत्यार्थी क0 6 एवं 7 नाबालिग द्वारा
संरक्षिका मां श्रीमती रेखा
समस्त निवासीगण पुराना बस स्टेण्ड सीहोर
तहसील व जिला सीहोर म0प्र0

––– प्रत्यार्थीगण

....

श्री आर0 डी0 शर्मा अभिभाषक, अपीलार्थीगण
श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा, अभिभाषक, अपीलार्थी क–1
श्री डी0 एस0 चौहान, अभिभाषक अपी0 क–2 से 5

....

आदेश

(आज दिनांक 23-5-18 को पारित)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश 06–07–2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 (3) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2–प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी कमांक 2 से 7 एक ही परिवार के सदस्य हैं। मौजा छावनी सीहोर पटवारी हल्का नं0 37 में स्थित भूमि सर्वे कमांक 70 रकवा 177 अपीलार्थी कमांक 1 के स्व0 ससुर श्री खुशीलाल समाधिया के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि हैं स्व0 श्री खुशीलाल समाधिया के स्वर्गवास उपरांत उपर्युक्त भूमि पर उनके एक मात्र पुत्र भगवान दयाल अपीलार्थी कमांक 1 के पति के नाम नामांतरण हो गया था। अपीलार्थी कमांक 2 स्व0 भगवानदयाल की पुत्री है। अपीलार्थी कमांक 1 के ससुर खुशीलाल एवं प्रत्यर्थी कमंक 2 से 5 के पिता स्व0 श्री सूरज प्रसाद सगे भाई थे। प्रत्यार्थी कमांक 2 से 5 की माता श्रीमती कमला बाई ने अपीलार्थीगण जो स्वर्गीय श्री भगवानदयाल के विधिक उत्तराधिकारी है उनको पक्षकार बनाये बिना एवं तहसील न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण हितबद्व व्यक्तियों को सूचना तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलर्थीगण के पीठ पीछे कमशः अपीलार्थी कमांक 1 के पति अपीलार्थी कमांक–2 के पिता भगवान दयाल के स्थान पर राजस्व अधिकारियों से सांठ–गांठ कर दिनांक 15.7.85 को अपने नाम नामांतरण करा लिया गया। इस अपील की जानकारी होने पर अपीलार्थीगण द्वारा आदेश दिनांक 15.07.1985 की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन किया गया किन्तु अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण उपर्युक्त आदेश की छाया प्रति के साथ उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील कमांक 37/अपील/05–06 प्रस्तुत की गई उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि नहीं होने से अपील निरस्त कर दी गई। इससे से दुखित होकर अपर आयुक्त भोपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो प्रकरण कमांक द्वितीय अपील 833/अपील/2012–13 द्वारा दिनांक 11.01.16 द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश विधि विरूद्व पाते हुये अपील स्वीकार की गयी।

तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी के आदेश निरस्त किये गये। इस आदेश के विरूद्व प्रत्यर्थी कमांक–1 जो कि तहसील न्यायालय से लेकर अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील के प्रकम तक प्रकरण में कहीं पक्षकार नहीं था उसके द्वारा अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण कमांक 833/अपील/2012–13 में पारित आदेश दिनांक के विरूद्व अपर आयुक्त के समक्ष संहिता की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन प्रस्तुत किया गया। अपर आयुक्त भोपाल द्वारा प्रकरण कमांक 33/पुर्नाविलोकन/2015–16 में राजस्व मण्डल से पुनर्विलोकन की अनुज्ञा प्राप्त किये बिना आदेश दिनांक 6.7.17 द्वारा पुनर्विलोकन स्वीकार कर अपर आयुक्त भोपाल के पूर्वाधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.01.16 वापिस लिया गया एवं अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे गये। अपर आयुक्त भोपाल के द्वारा प्रकरण कमांक 833/अपील/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 11.01.16 से दुखित होकर इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3–अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपर आयुक्त भोपाल का आदेश अवैध अनुचित विधि के उपबंधो के प्रतिकूल एवं अधिकारिता रहित होने से प्रथम दृष्ट्या ही अपास्त किये जाने योग्य है। आगे तर्क में कहा गया है कि उत्तराधिकारी अपर आयुक्त को अपने पूर्वाधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 833/अपील/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 11.01.16 का पुनर्विलोकन करने के लिये राजस्व मण्डल से संहिता की धारा 51(1) के परन्तुक 1 के अधीन पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना पुनर्विलेकन करने की अधिकारतिा नहीं थी, ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा पारित आक्षेपित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा गया है कि अपर आयुक्त द्वारा पुनर्विलोकन में पारित आदेश द्वारा अपने पूर्वाधिकारी के आदेश को वापस लेते हुये अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों को स्थिर रखा गया है जो विधि विरूद्व है। पुनर्विलोकन स्वीकार होने पर मामले की अर्थात अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण कमांक 833/अपील/2012–13 की पुनः गुण–गुण पर सुनवाई की जाकर आदेश पारित किया जाना चाहिये था। अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि प्रत्यर्थी कमांक 1 को पुनर्विलोकन प्रस्तुत करने का अधिकार ही नहीं था क्यों कि वह प्रकरण में विचारण न्यायालय से द्वितीय अपील न्यायालय तक कहीं भी पक्षकार नहीं था ऐसी स्थिति में उसके द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन

अक्षम होकर ग्रहण योग्य ही नहीं था। ऐसे अग्राह्य पुनर्विलोकन में पारित आदेश अधिकारिता रहित होने से अपास्त किये जाने योग्य है। जब वह प्रकरण में पक्षकार नहीं था तब उसे द्वितीय अपील में पक्षकार बनाना आवश्यक ही नहीं था। विवादित भूमि कमशः अपीलार्थी कमांक 1 के पति एवं अपीलार्थी कमांक 2 के पिता स्व0 श्री भगवान दयाल के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि थी जिस पर प्रत्यर्थीगण कमांक 2 से 5 की माता कमला बाई के नाम बिना किसी स्वत्व के तहसील न्यायालय द्वारा नामांतरण आदेश दिनांक 15.7.85 पारित नहीं किया जा सकता, ऐसे अवैध आदेश को पुनर्विलोकन में पारित आदेश द्वारा स्थिर किया जाना नितांत अवैध और अनुचित है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि अपील स्वीकार की जाकर उत्तराधिकारी अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण कमांक 33/पुनर्विलोकन/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 6.7.17 अपास्त किया जाकर पूर्वाधिकारी अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा प्रकरण कमांक 833/अपील/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 11.01.16 स्थिर रखने का अनुरोध किया गया है।

4–प्रत्यर्थी कमांक–1 के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा द्वारा उपस्थित होकर माननीय द्वितीय अपर जिला जज सीहोर के प्रकरण कमांक 7ए/16 में पारित आदेश दिनांक 8.2.18 की प्रति प्रस्तुत कर बताया गया है कि अपीलीगण एवं प्रत्यर्थी कमांक–1 के मध्य विवादित भूमि 1 एकड़ भूमि का समझौता हो चुका है। शेष भूमि 0.77 डिस0 से उनका कोई लेना देना नहीं है।

5–प्रत्यर्थीगण कमांक 2 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री डी0 एस0 चौहान उपस्थित। उनके द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 15.7.85 को जो आदेश पारित किया है वह उचित है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि इस प्रकरण में अपीलकर्ता तथा अन्य पक्षकारों को पुर्नविलोकन का आवेदन प्रस्तुत हो जाने के बाद अपर आयुक्त भोपाल ने प्रस्तुत किये गये सभी दस्तावेजों को अवलोकन किया था और अवलोकन से पुर्नाविलोकन के आवेदन पत्र में प्रस्तुत सभी दस्तावेजों को सही पाया था तथा अपने आदेश में इस तथ्य को उल्लेखित किया था कि इस प्रकरण के अपीलकर्तागण को सभी तथ्यों की जानकारी थी वादग्रस्त भूमि में

से 1 एकड भूमि का विकय हो चुका है। अंत में उनके द्वारा कहा गया है कि माननीय द्वितीय अपर जिला जज सीहोर के प्रकरण कमांक 7ए/16 में पारित आदेश दिनांक 8.2.18 के मध्य 1 एकड़ भूमि का समझौता हो चुका है लेकिन शेष भूमि 0.77 डिस0 प्रत्यर्थी कमांक 2 से 5 के पक्ष में अपर आयुक्त द्वारा 6.7.17 को पुनार्विलोकन में आदेश पारित किया है उसे स्थिर रखने का अनुरोध किया गया है।

6– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने गये। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी कमांक 2 से 7 एक ही परिवार के सदस्य हैं। मौजा छावनी सीहोर पटवारी हल्का नं0 37 में स्थित भूमि सर्वे कमांक 70 रकवा 1.77 एकड़ अपीलार्थी कमांक 1 के स्व0 ससुर श्री खुशीलाल समाधिया के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि है। स्व0 श्री खुशीलाल समाधिया के स्वर्गवास उपरांत उपर्युक्त भूमि पर उनके एक मात्र पुत्र भगवान दयाल अपीलार्थी कमांक 1 के पति के नाम नामांतरण हो गया था। अपीलार्थी कमांक 2 स्व0 भगवानदयाल की पुत्री है। अपीलार्थी कमांक 1 के ससुर खुशीलाल एवं प्रत्यर्थी कमंक 2 से 5 के पिता स्व0 श्री सूरज प्रसाद सगे भाई थे। प्रत्यार्थी कमांक 2 से 5 की माता श्रीमती कमला बाई ने अपीलार्थीगण जो स्वर्गीय श्री भगवानदयाल के विधिक उत्तराधिकारी है उनको पक्षकार बनाये बिना एवं तहसील न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण हितबद्व व्यक्तियों को सूचना तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उनके के पीठ पीछे कमशः अपीलार्थी कमांक 1 के पति अपीलार्थी कमांक–2 के पिता भगवान दयाल के स्थान पर राजस्व अभिलेख में दिनांक 15.7.85 को अपने नाम नामांतरण करा लिया गया। इस आदेश की जानकारी होने पर अपीलार्थीगण द्वारा आदेश दिनांक 15.07.1985 की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन किया गया किन्तु अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण उपर्युक्त आदेश की छाया प्रति के साथ उपखण्ड अधिकारी सीहोर के समक्ष प्रथम अपील कमांक 37/अपील/05–06 प्रस्तुत की गई उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि नहीं होने से अपील निरस्त कर दी गई। द्वितीय अपील अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई जो प्रकरण कमांक 833/अपील/2012–13 द्वारा दिनांक 11.01.16 द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश विधि विरूद्व पाते हुये अपील स्वीकार की गयी।

उत्तराधिकारी अपर आयुक्त भोपाल द्वारा बिना पुर्नाविलोकन की अनुमति लिये अपने पूर्वाधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 833/अपील/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 11.01.16 का पुनर्विलोकन में आदेश पारित कर दिया जो विधि विरूद्व था, जबकि उनके द्वारा राजस्व मण्डल से संहिता की धारा 51(1) के परन्तुक 1 के अधीन पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करके आदेश पारित करना चाहिये था। उत्तराधिकारी अपर आयुक्त भोपाल को बिना अनुमति लिये पुनर्विलेकन में आदेश पारित करने की अधिकारिता नहीं थी, ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त भोपाल द्वारा पारित आक्षेपित आदेश त्रुटिपूर्ण है। अपर आयुक्त भोपाल द्वारा पुनर्विलोकन में पारित आदेश द्वारा अपने पूर्वाधिकारी के आदेश को वापस लेते हुये अधीनस्थ न्यायाालयों द्वारा पारित आदेशों को स्थिर रखा गया है जो विधि विरूद्व होने से त्रुटिपूर्ण है। पुनर्विलोकन स्वीकार होने पर मामले की अर्थात अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण कमांक 833/अपील/2012–13 की पुनः गुण–गुण पर सुनवाई की जाकर आदेश पारित किया जाना चाहिये था। इस संदर्भ में निम्नलिखित न्याय दृष्टांत अवलोकनीय हैं :– **1997 आर0 एन0 127 मान0 उच्च न्यायालय, 1966 आर0 एन0 521 मान उच्च न्यायालय।** प्रकरण के अवलोकन से यह भी पाया जाता है कि अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी कमांक–1 के मध्य माननीय द्वितीय अपर जिला जज सीहोर के प्रकरण कमांक 7ए/16 में पारित आदेश दिनांक 8.2.18 द्वारा विवादित भूमि 1.77 एकड़ में से 1 एकड़ का आपसी समझौता हो गया है। अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी कमांक 2 से 5 के मध्य अब विवाद मात्र 0.77 डिस0 का है। विवादित भूमि कमशः अपीलार्थी कमांक 1 के पति एवं अपीलार्थी कमांक 2 के पिता स्व0 श्री भगवान दयाल के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि थी जिस पर प्रत्यर्थीगण कमांक 2 से 5 की माता कमला बाई के नाम बिना किसी स्वत्व के तहसील न्यायालय द्वारा नामांतरण आदेश दिनांक 15.7.85 पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण आदेश है एवं इसी प्रकार उत्तराधिकारी अपर आयुक्त भोपाल द्वारा बिना पुर्नाविलोकन की अनुमति लिये अपने पूर्वाधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 833/अपील/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 11.01.16 का पुनर्विलोकन में आदेश

पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध एवं त्रुटिपूर्ण आदेश होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। वैसे भी प्रत्यर्थी कमांक –1 को पुनर्विलोकन प्रस्तुत करने का अधिकार ही नहीं था क्यों कि वह प्रकरण में विचारण न्यायालय से द्वितीय अपील न्यायालय तक कहीं भी पक्षकार नहीं था ऐसी स्थिति में उसके द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन अक्षम होकर ग्रहण योग्य ही नहीं था। ऐसे अग्राह्य पुनर्विलोकन में पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है। जब वह प्रकरण में पक्षकार नहीं था तब उसे द्वितीय अपील में पक्षकार बनाना आवश्यक ही नहीं था।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी कमांक–1 के मध्य माननीय द्वितीय अपर जिला जज सीहोर के प्रकरण कमांक 7ए/16 में पारित आदेश दिनांक 8.2.18 द्वारा 1.77 एकड़ में से 1 एकड़ का समझौता हो गया है। उत्तराधिकारी अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा प्रकरण कमांक 33/पुनर्विलोकन/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 6.7.17 निरस्त किया जाता है तथा पूर्वाधिकारी अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा प्रकरण कमांक 833/अपील/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 11.01.16 विवादित भूमि 0.77 डिस0 तक स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर